

निविदा सूचना

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति इ0का0 बस्तौरा, रसड़ा-बलिया के संवासियों को निविदा शर्तों में दिये गये मीनू के अनुसार भरण-पोषण(भोजन+नाश्ता) माह मई 2014 तक अथवा अगली निविदा होने तक उपलब्ध कराने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है । ऐसी ही फर्म निविदायें डाल सकती है जिन्हें सरकारी आवासीय संस्थाओं में आपूर्ति करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, फर्म आयकर एवं व्यापार कर में पंजीकृत हो तथा फर्म को व्यापार कर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो एवं फर्म काली सूची में न हो । निविदा फार्म एवं शर्तों से सम्बन्धित प्रपत्र अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति इ0कालेज बस्तौरा रसड़ा, बलिया के कार्यालय से निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 11.07.2013 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे के मध्य प्राप्त किया जा सकता है । निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय दो भाग होंगे जिन्हें अलग-अलग लिफाफो में बन्द करते हुए एक बड़े लिफाफे में डाल कर सीलबन्द कर दिनांक 12.07.13 को अपरान्ह 02.30 बजे तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में रखे गये टेण्डर बाक्स में डाला जा सकता है । निविदायें दिनांक 12.07.13 के अपरान्ह 03.00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, बलिया की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष विकास भवन स्थित मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, बलिया कक्ष में खोली जायेगी । निविदा धरोहर धनराशि रू0 50000.00 (पचास हजार मात्र) का बैंकड्राफ्ट जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो, संलग्न किया जायेगा ।

(सुरेश चन्द्र)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलिया ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बलिया ।

पत्रांक स्पी० 767 /स0क0 /आ.प.वि./टेण्डर/2013-14 /दिनांक 24-6-2013

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलिया ।
3. मुख्य विकास अधिकारी बलिया, अध्यक्ष क्रय समिति ।
4. अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) बलिया, सदस्य क्रय समिति ।
5. जिला पूर्ति अधिकारी, बलिया, सदस्य क्रय समिति ।
6. उप-जिलाधिकारी रसड़ा बलिया, कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु ।
7. सम्पादक अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र बलिया एवं दैनिक जागरण दैनिक समाचार पत्र बलिया को कम से कम स्थान में दिनांक 25.06.13 के अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भी दो प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु ।
8. अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति इ0का0 बस्तौरा रसड़ा, बलिया सदस्य क्रय समिति ।
9. कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस निर्देश के साथ कि जनपद की वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें ।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलिया ।